[2018] 3 एस.सी.आर. 60

गोरुसु नागराजू पुत्र अप्पाराव

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1032 वर्ष 2007)

मार्च 23, 2018

[आर.के.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्तिगढ़]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 और 201 - हत्या - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - विचाराधीन न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई - नीचे दी गई न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष - अपील में अभिनिर्धारित : मृतक की मृत्यु का कारण बनने वाली घटनाओं की श्रृंखला को अपीलकर्ता को घटनाओं की श्रृंखला के साथ फंसाने के लिए बिना किसी विराम के स्थापित किया गया था - अपीलकर्ता साक्ष्य में विरोधाभास या असंगति में कोई सामग्री साबित नहीं कर सका - नीचे की न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

अपील: निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष - अभिनिर्धारित : जहां दोषसिद्धि के निष्कर्ष प्रकृति में समवर्ती हैं और सबूतों की सराहना पर आधारित हैं, ऐसे निष्कर्ष आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी होते हैं - हालांकि, यदि अपीलकर्ता ऐसे किसी भी समवर्ती निष्कर्षों में कोई विकृति, मनमानी, बेतुकापन या अवैधता दिखाने में सक्षम है, तो ऐसी परिस्थितियों में, निष्कर्ष समवर्ती होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

साक्ष्य: मामूली विरोधाभास - अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रभाव - अभिनिर्धारित : यह आपराधिक कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य में कुछ मामूली विरोधाभास या असंगति महत्वपूर्ण साक्ष्य को प्रभावित नहीं कर सकती है और इस तरह के विरोधाभास या असंगति पूरे साक्ष्य को अविश्वसनीय के रूप में खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है - यह बहुत अधिक है जब नीचे दी गई दो न्यायालयों ने उक्त साक्ष्य पर ध्यान दिया और इसे पूरी तरह से सारहीन होने से खारिज कर दिया।

अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने,

अभिनिर्धारित किया : उच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों पर ध्यान दिया जिनके कारण मृतक की मृत्यु हुई और कैसे अपीलकर्ता विचाराधीन अपराध से जुड़ा हुआ है। जिन परिस्थितियों को देखा गया है, वे सबसे पहले हैं, मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ता (ए -1) की कंपनी में देखा गया था; दूसरा, अपीलकर्ता और मृतक, दोनों व्हिस्की की बोतल खरीदने

के लिए एक शराब की दुकान पर एक साथ गए; तीसरा, पीडब्ल्यू -18 के घास के ढेर से शरीर की बरामदगी जिसमें खून बह रहा था; चौथा, व्हिस्की की बोतल (मैकडॉवेल) और कांच पर अपीलकर्ता की उंगलियों के निशान और हस्तलिपि और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ द्वारा घटना स्थल पर अन्य जब्त वस्तुओं पर; पांचवां, सभी जब्त वस्तुओं की बरामदगी अपीलकर्ता के कहने पर की गई थी; छठा, अपीलकर्ता को मृतक के खिलाफ कुछ शिकायत थी क्योंकि अपीलकर्ता ने मृतक से उसके और पीडब्ल्यू -6 के बीच कुछ मुद्दों को सुलझाने का अनुरोध किया था, लेकिन मृतक कुछ कारणों से ऐसा करने में विफल रहा; सातवां, अपीलकर्ता इनमें से किसी भी परिस्थिति को समझाने में विफल रहा और स्पष्टीकरण देने के लिए कहे जाने पर चुप रहा। अभियोजन पक्ष ने 33 गवाहों की मदद से सात परिस्थितियों को साबित किया। यह सच है कि 33 गवाहों में से कुछ अपने बयान से मुकर गए, लेकिन जो अपने बयान से मुकर गए और सात परिस्थितियों के बारे में सुसंगत रूप से बात की, उनके सबूतों पर दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए सही तरीके से भरोसा किया गया। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा देखी गई और जिन सात परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, वे महत्वपूर्ण परिस्थितियां थीं और इसलिए, अपीलकर्ता को अपराध के साथ जोड़ने का सही आधार बनाया गया। दरअसल, उन घटनाओं की श्रृंखला जो मृतक की मृत्यु का कारण बनी, अपीलकर्ता को घटनाओं की श्रृंखला के साथ फंसाने के लिए बिना किसी विराम के स्थापित की गई थी। अपीलकर्ता साक्ष्य में किसी भी महत्वपूर्ण विरोधाभास या असंगति को साबित नहीं कर सका। [पैरा 10-13] [63-एफ-एच; 64-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1032 वर्ष 2007 ।

हैदराबाद में उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश द्वारा आपराधिक अपील संख्या 955 वर्ष 2005 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.12.2006 से।

विजय कुमार, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रभाकर, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे**, द्वारा सुनाया गया,

1. यह अपील अभियुक्त द्वारा 2005 की आपराधिक अपील संख्या 955 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.12.2006 के खिलाफ उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से जेल से दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 10.06.2005 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी। पूर्वी गोदावरी के राजमुंदरी में सत्र मामले संख्या 193 वर्ष 2000 में अपीलकर्ता (ए -1) को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 201 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 235 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे धारा 30 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारतीय दंड संहिता

की धारा 201 के तहत अपराध के लिए उन्हें तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 100 रुपये के जुर्माने के साथ एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

2. अपील के निस्तारण के लिए, नीचे कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

3. अपीलकर्ता (ए-1) के साथ चार आरोपी व्यक्तियों (ए-2, ए-3, ए-4 और ए-5) पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 10.06.2005 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा अपीलकर्ता (ए-1) को दोषी ठहराया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और तीन अभियुक्तों नामत ए-2, ए-3 और ए-5 को बरी कर दिया। जहां तक ए-4 का सवाल है, चूंकि वह फरार था, इसलिए उसके मुकदमे को अलग कर दिया गया था।

4. उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में अपील दायर की। हालांकि, राज्य ने ए -2, ए 3 और ए -5 को बरी करने के संबंध में आदेश पर सवाल उठाते हुए कोई अपील दायर नहीं की और इसलिए, बरी करने का आदेश अंतिम हो गया।

5. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलकर्ता (ए -1) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा, जिसने विशेष के माध्यम से इस अपील को दायर करने को जन्म दिया है अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष छुट्टी।

6. इस अपील में विचार के लिए सवाल उठता है कि क्या आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला बनता है।

7. प्रारंभ में, हम यह कहना उचित मान सकते हैं कि सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने पूरे मौखिक साक्ष्य की सराहना करने पर अपीलकर्ता को अपराधों का दोषी ठहराया। दूसरे शब्दों में, दोनों न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य की सराहना करने पर, अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज किया और तदनुसार उसे दोषी ठहराया।

8. यह एक ऐसा मामला है जहां दोषसिद्धि के निष्कर्ष प्रकृति में समवर्ती हैं और सबूतों की सराहना पर आधारित हैं, इसलिए, ऐसे निष्कर्ष आमतौर पर इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी होते हैं। हालांकि, यदि अपीलकर्ता ऐसे किसी भी समवर्ती निष्कर्षों में कोई विकृति, मनमानी, बेतुकापन या अवैधता दिखाने में सक्षम है, तो ऐसी परिस्थितियों में,

समवर्ती निष्कर्ष इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। इसलिए, यह न्यायालय आमतौर पर ऊपर बताए गए अपवाद के अधीन अपील में तीसरी बार सबूतों की फिर से सराहना करने के लिए खुद को नहीं लेता है।

9. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों सहित पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। अभियोजन पक्ष ने 33 गवाहों का परीक्षण किया और बचाव पक्ष ने केवल एक गवाह का परीक्षण किया। हम यह भी पाते हैं कि सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता (ए -1) की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पीडब्ल्यू -8, पीडब्ल्यू -11, पीडब्ल्यू -12, पीडब्ल्यू -14, पीडब्ल्यू -28 और पीडब्ल्यू -31 के सबूतों पर भरोसा किया। यह भी देखा गया है कि दोषसिद्धि काफी हद तक परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है।

10. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 5 में उन परिस्थितियों पर ध्यान दिया है जिनके कारण मृतक की मृत्यु हुई और अपीलकर्ता अपराध से कैसे जुड़ा हुआ था। जिन परिस्थितियों को देखा गया है, वे सबसे पहले हैं, मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ता (ए -1) की कंपनी में देखा गया था; दूसरा, अपीलकर्ता और मृतक, दोनों व्हिस्की की बोतल खरीदने के लिए एक शराब की दुकान पर एक साथ गए; तीसरा, पीडब्ल्यू -18 के घास के ढेर से शरीर की बरामदगी जिसमें खून बह रहा था; चौथा, व्हिस्की की बोतल (मैकडॉवेल) और कांच पर अपीलकर्ता की उंगलियों के निशान और हस्तलिपि और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ द्वारा घटना स्थल पर अन्य जब्त वस्तुओं पर; पांचवां, सभी जब्त वस्तुओं की बरामदगी अपीलकर्ता के कहने पर की गई थी; छठा, अपीलकर्ता को मृतक के खिलाफ कुछ शिकायत थी क्योंकि अपीलकर्ता ने मृतक से उसके और पीडब्ल्यू -6 के बीच कुछ मुद्दों को सुलझाने का अनुरोध किया था, लेकिन मृतक कुछ कारणों से ऐसा करने में विफल रहा; सातवां, अपीलकर्ता ऊपर देखी गई किसी भी परिस्थिति को समझाने में विफल रहा और स्पष्टीकरण देने के लिए कहे जाने पर चुप रहा।

11. अभियोजन पक्ष ने 33 गवाहों की सहायता से उपरोक्त सात परिस्थितियों को साबित किया। यह सच है कि 33 गवाहों में से कुछ अपने बयान से मुकर गए, लेकिन जो अपने बयान से मुकर गए और उपरोक्त सात परिस्थितियों के अनुरूप संस्करण को बनाए रखा, हमारी राय में, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उनके साक्ष्य पर सही भरोसा किया गया था।

12. इसके अलावा, हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा देखी गई और जिन सात परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, वे महत्वपूर्ण परिस्थितियां थीं और इसलिए, अपीलकर्ता को अपराध के साथ जोड़ने का सही आधार बनाया गया। दरअसल, उन घटनाओं की श्रृंखला जो मृतक की मृत्यु का कारण बनी, अपीलकर्ता को घटनाओं की श्रृंखला के साथ फंसाने के लिए बिना किसी विराम के स्थापित की गई थी।

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता पूरे साक्ष्य का अध्ययन करना चाहते थे और उन्होंने वास्तव में ऐसा किया लेकिन सबूतों में किसी भी महत्वपूर्ण विरोधाभास या असंगति को इंगित नहीं कर सके। यह आपराधिक कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य में कुछ मामूली विरोधाभास या असंगति महत्वपूर्ण साक्ष्य को प्रभावित नहीं कर सकती है और इस तरह के विरोधाभास या असंगति को पूरे साक्ष्य को अविश्वसनीय के रूप में त्यागने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह तब और भी अधिक है जब नीचे दिए गए दो न्यायालयों ने उक्त साक्ष्य पर ध्यान दिया और इसे पूरी तरह से महत्वहीन मानते हुए खारिज कर दिया।

14. इसलिए, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुतियों से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि यह अपीलकर्ता को विचाराधीन अपराधों से बरी करने का कोई मामला नहीं बनाता है।

15. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमें अपील में कोई दम नजर नहीं आता। इस प्रकार अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल

अपील खारिज।

अनुवादकर्त्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय